

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक 30 SEP 2023


आदेश

- विषय: राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।
- सन्दर्भ: वित्त (नियम) विभाग की अशा.टीप क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 21.02.2023 एवं आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023), आदेश दिनांक 17-6-2023, 6-7-2023, 27-7-2023, 25-8-2023 एवं 08.09.2023।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 31-10-2023 तक बढ़ाई जाती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि यदि पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में राज्य सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत संस्था ने अपने स्तर से भिन्न दिशा-निर्देश जारी किये हैं तो उन्हें तुरन्त प्रभाव से संशोधित या प्रत्याहरित कर लिया जाये। यदि संस्थाओं द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों से भिन्न जारी किये गये दिशा निर्देशों को संशोधित या प्रत्याहरित नहीं किया जाता है तो इस हेतु प्रशासनिक विभाग एवं संस्था के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व का निर्धारण कर नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रोहित गुप्ता)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक: एफ 4(1-आर)()/एसकेराकृवि/सी/2017/623 दिनांक: 03-10-2023

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे. निदेशक/प्रभारी अधिकारी, स्वाकेराकृवि,
2. कुल सचिव, एसकेराकृवि, बीकानेर ।
3. कोषाधिकारी, एसकेराकृवि, बीकानेर ।
4. प्रभारी अधिकारी, सिमका को वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. निजी सचिव कुलपति महोदय, एसकेराकृवि, बीकानेर ।
5. अनुभाग अधिकारी, पेंशन शाखा/रक्षित पत्रावली ।


वित्त नियंत्रक